न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लुणी, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री गोपाल परिहार RAS

राजस्व अपील संख्या – 6/2019

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेन्टस
01.मजूला पत्नी श्री किशोरसिह चौधरी पुत्री स्व0 दौलतराम जी चौधरी हाल निवासी एच–112 ओरचिड व्हाईट फिल्ड मकरबा रेल्वे कोस्रिग के पास अहमदाबाद।		01.महेन्द्र प्रताप सिह पुत्र स्व0 दौलतराम जी चौधरी निवासी चौधरी भवन गणेश चौक रातानाडा जोधपुर। 1/1.पुष्पा चौधरी पत्नी स्व0महेन्द्रप्रतापसिह 1/2.भावना चौधरी पुत्री स्व0 महेन्द्रप्रतापसिह 1/3.शोरभ चौधरी पुत्र स्व0 महेन्द्रप्रतापसिह निवासीगण चौधरी भवन गणेश चौक रातानाडा जोधपुर। 02.हरेन्द्रप्रतापसिह पुत्र स्व0 दौलतराम जी चौधरी निवासी चौधरी भवन गणेश चौक रातानाडा जोधपुर। 03.दिपेन्द्रप्रतापसिह पुत्र स्व0 दौलतराम जी चौधरी निवासी चौधरी भवन गणेश चौक रातानाडा जोधपुर। 04.पुष्पा देवी पत्नी महेन्द्रसिह चौधरी निवासी चौधरी भवन गणेश चौक रातनाडा जोधपुर। 05.विमलादेवी पुत्री स्व0 दौलतराम जी चौधरी पत्नी श्री एस.के ,मलिक निवासी ए 77 मलिक सदन कृष्णा नगर बासनी जोधपुर। 06.उर्मिला पुत्री स्व दौलतराम जी चौधरी पत्नी स्व0 करमेन्द्रसिह चौधरी निवासी सी/0 नवीन चौधरी 1–9 मालानी कर्मचारी सहकारी कॉलानी भूरटिया रोड जोधपुर। 07.संतोष पुत्री स्व0 दौलतराम जी चौधरी पत्नी श्री तुलसीराम जी चौधरी निवासी 121 सेन्टल स्कूल स्कीम एयरफोर्स मैस के पास रातानाडा जोधपुर। 08.अरिहन्त सुपर स्ट्रचर जरिये डायरेक्टर अशोक भवरलाल छाजेड सी/0 आयूशी टॉवर फस्ट फलोर 12वी रोड चौराहे के पास पाल रोड जोधपुर। 09.ग्राम पंचायत बोरानाडा जरिये संरपच।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू –राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 05 ग्राम पंचायत बोरानाडा तहसील–लुणी, जोधपुर द्वारा दिनांक 10.04.1970 को पारित किया गया।

उपस्थित :–
1. अपीलांट की ओर से अधिवक्ता – प्रेम कुमार देवडा।
2. रेस्पोडेन्ट की ओर से अधिवक्ता–लाधूराम पूनिया।

:: आदेश ::

दिनांक : 18/01/2023

यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत विरूद्ध ग्राम गगाणा के नामांतरकरण संख्या 05 दिनांक 10.04.1970 को ग्राम पंचायत बोरानाडा तहसील लूणी जिला जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया है, के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है। अपील में वर्णित संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम गंगाणा हाल तहसील झंवर मे कृषि भूमि खसरा नम्बर 176,179,197,198,213,216,228 व 199 कुल 86–05 बीघा

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, लूणी

भूमि स्व0 दौलतराम चौधरी पुत्र खुमाराम चौधरी की खातेदारी भूमि आई हुई है। खातेदार दौलतराम चौधरी का दिनॉक 17.09.1968 को स्वर्गवास हो गया। उनकी मृत्यु के समन उनके प्रथम श्रेणी के वारिशान उनके तीन पुत्र कमश महेन्द्रप्रतापसिह हरेन्द्र प्रतापसिह दिपेन्द्रसिह प्रतापसिह तथा चार पुत्रीयॉ कमंश विमलादेवी उर्मिलादेवी संतोष एव मंजुला तथा उनकी धर्म पत्नी सावित्री देवी थी। सावित्री देवी का निधन वर्ष 2008 मे हो गया। अपीलार्थी स्वंय वर्षो से अपने उपर बताये पते पर अहमादबाद मे निवास करती है इनका कभी कभार जोधपुर आना होता है एव उम्र कभी हो गई है इस कारण उसने विरासत प्राप्त उक्त भूमि मे अपने हिस्से को अलग करवाने के लिए जोधपुर आकर दिनाक 10.05.2019 को अपने पति के साथ जाकर हल्का पटवारी से पूछताछ की तो पता चला की मेरे पिता जी दौलतराम जी के स्वर्गवास पर विरासत का नामान्तरकरण स्वीकार किया उस समय केवल तीन पुत्रो का नाम ही दर्ज किया गया था। इस पश्चात अपीलार्थी ने प्रथम बार दिनांक 14.05.2019 को इस नामान्तरकरण की नकल प्राप्त की तब नामान्तरकण सख्या 5 की जानकारी हुई। अतःअपील पेश कर निवेदन है कि अपील स्वीकार कि जावे अपीलाधीन नामान्तरकण सख्या 5 ग्राम गगाणा निरस्त कर तथा इस नामान्तरकरण के पश्चात राजस्व रिकार्ड मे किये गये तमाम इन्द्राजो को निरस्त किया जाने का निवेदन किया गया तथा स्व0 दोलतराम के सभी वरिशान के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया जावे।

अपीलार्थीगण की अपील दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया। तामील समन प्राप्त जो शामिल पत्रावली है।

पत्रावली का अवलोकन से स्पष्ट है कि इस अपील मे किसी प्रकार द्वारा रेस्पोडेण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील का खण्डन नही किया गया इसलिए न्यायहित मे अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम के उचित प्रतीत होने पर स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया गया कि अपीलाधीन नामान्तरकरण सख्या 05) जो कि ग्राम पंचायत बोरानाडा द्वारा दिनांक 10.04.1970 को खसरा नम्बर 176,179,197,198,213,216,228 व 199 कुल 86–05 बीधा भूमि जो उतराधिकारी वारिसान के संबंध में ग्राम पंचायत द्वारा पूर्ण गहन जॉच कर पक्षकारों को नोटिस देकर सुना जाने के बाद ही नामान्तरकरण तस्दीक किया जाना चाहिये था, जो ग्राम पंचायत द्वारा ऐसा नहीं किया गया जो विधि विरूद्व है तथा ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरकण संख्या 5 दिनाक 10.04.1970 को भरा गया उसे खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

रेस्पोडेण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस मे कथन किया गया कि ग्राम पंचायत बोरानाडा तहसील लूणी द्वारा जो नामान्तरकरण सख्या 05 दिनाक 10.04.1970 को भरा गया वो सही व विधि समत भरा गया तथा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाने का निवेदन किया गया।

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

Scanned by CamScanner

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाकर नामान्तकारण सख्या 5 ग्राम बोरानाडा तहसील लूणी द्वारा भरा गया जो नामान्तरकरण सख्या 5 को निरस्त किया जाता है तथा पूर्व की स्थिति बहाल की जाती है प्रकरण तहसीलदार झंवर को प्रति प्रेषित किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि स्व0 दौलतराम पुत्र खुमाराम जाति जाट के सभी विधिक वारिसान की जॉच कर नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करे। निर्णय की पालना हेतु तहसीलदार झवर को तहरीर जारी हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो।

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट (लूणी)

[illegible] अधिकारी,
([illegible])RAS
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
लुणी, जिला जोधपुर।

Scanned by CamScanner